आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री उद्यन दासगुप्ता, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 511/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2018-19

मे. टेस्ला ट्रांसफार्मर्स लि. 23-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएबीसीटी 1005 सी PAN- AABCT1005C		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अनिल खाब्या, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री राम कुमार यादव, आयकर आयुक्त-विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	30.01.2025
उद्घोषणा तिथि	31.01.2025

आदेश

श्री उद्यन दासगुप्ता, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी), दिल्ली के आदेश दिनांक 25.09.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक आयकर आयुक्त, 4(1), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154/143(1) के अधीन आदेश दिनांक 24.07.2020 से उद्भूत है।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 08.01.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 दाखिल किया है । निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा 01.01.2025 को फार्म सं. 2

जारी किया गया है जिसे निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त योजना के अधीन विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 4 जारी किया गया है तथा फार्म सं. 4 की प्रति भी दाखिल की हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, निर्धारिती विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 31.01.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(उद्यन दासगुप्ता)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 31.01.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल